इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 399] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 25 अगस्त 2011—भाद्र 3, शक 1933

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. डी-15-06-2011-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-06-2011-चौदह-3, भोपाल, दिनांक 02 फरवरी 2011 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को मध्यप्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 2008 एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2010 के प्रावधानों के अनुरूप विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अधीन मण्डी फीस से भुगतान में छूट दी गई है.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना में संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की "शर्त क्रमांक-(2.3)" एवं "शर्त क्रमांक-(11)" को विलोपित कर निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जावे. अर्थात् :—

"**शर्त क्रमांक**-(2.3)—केवल ऐसी सोयाबीन प्रसंस्करण इकाईयां जिनके कुल उत्पादन में सोयाबीन तेल (जिसमें रिफाइण्ड तेल भी सम्मिलित है) व डी-ऑईल केक के अतिरिक्त अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों का प्रतिशत (कुल विक्रय मूल्य के आधार पर) पच्चीस अथवा उससे अधिक हो.".

"**शर्त क्रमांक**-(11)—अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को पहली बार कच्चे माल क्रय करने के दिनांक से या कंडिका 14 अनुसार पात्रता जारी किये जाने की दिनांक से, जो भी बाद में हो, से 31 अक्टूबर 2015 कालावधि तक या कंडिका क्रमांक-(10) में यथा उल्लेखित अधिकतम राशि की सीमा तक, उनमें जो भी पूर्वतर हो, मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त होगी.".

यह अधिसूचना मूल अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक 02 फरवरी 2011 से प्रभावशील होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. डी-15-06-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह गंगवार, उपसचिव.

Bhopal, the 25th August 2011

No. D-15-06-2011-XIV-3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), State Government, as provided in the Madhya Pradesh Food Processing Policy 2008 and Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy 2010, have exempted Food Processing Industry/Processor from payment of market fees payable under the said Act as per the terms and conditions specified in this department's notification No. D-15-06-2011-XIV-3, dated 2nd February 2011.

In exercise of the powers conferred by Section 69 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby makes the following amendment in this Department's said notification, namely:—

In the said notification "Condition Number (2.3)" "Condition Number-(11)" are rescinded and shall be substituted by the following, that is :—

"**Condition Number-(2.3)**-Only such Soyabean processing industrial units which manufacture value added products other than or in addition to Soyabean oil (which includes refined oil) and de-oiled Cake (doc) and the share of such value added products (based on sale proceeds) in total production is twenty five percent or more.".

"**Condition Number-(11)**-Subject to sub-section (2) of Section 69 of the Act, the food processing unit established in the marker area shall be entitled for exemption from market fee till 31st October 2015, from the first date of purchase of notified agriculture produce, or release of eligibility certificate as per clause 14 hereunder, whichever is later, subject to capping as per conditions of clause 10 here in above.".

This notification shall come into force w.e.f. 2nd February, 2011 i.e. the date of its publication of the main notification in the state gazette.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
AJAY SINGH GANGWAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.